[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 7th November, 2006]

हरियाणा सरकार

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 अक्तूबर, 2006

क्र० 2116-स० क० (4)-2006.---हरियाणा राज्य में समय-समय पर जम्मू कश्मीर से कश्मीरी परिवार हरियाणा राज्य में विभिन्न जिलों के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं क्योंकि यह परिवार अपना/अपने परिवार का जीवन यापन करने में असमर्थ है। अत: इनको सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जायेगी। यह सहायता प्रत्येक परिवार को दी जानी है और प्रत्येक परिवार को एक यूनिट माना जायेगा।

पात्रता

1. कश्मीरी विस्थापित परिवार हरियाणा राज्य में रह रहा हो।

2. जिसका परिवार भी उसके साथ रहना चाहिये।

आवेदन पत्र/प्रक्रिया

ऐसे विस्थापित कश्मीरी परिवारों के बारे में हरियाणा राज्य के उपायुक्तों के माध्यम से उनकी सिफारिशों सहित जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे, पर सहानुभूतिपूर्वक विचारा जायेगा और उनके केसों में वित्तीय सहायता दी जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय सहायता का वितरण अन्य पेंशन स्कीमों की भान्ति राज्य में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से करवाया जायेगा और यह वितरण उसी पद्धति से होगा, जिस पद्धति से अन्य पेंशन स्कीमों का वितरण किया जा रहा है।

सहायता की राशि समय-समय पर सरकार द्वारा विस्थापित कश्मीरी परिवारों को वित्तीय सहायता की जो भी राशि दिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जायेगा, उसी अनुसार यह राशि उनको दी जायेगी।

ऐसे केसों में उपायुक्त की सिफारिश उपरान्त जो केस प्राप्त होंगे उन्हें सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को आवश्यक भुगतान हेतु भेज दिये जायेंगे और प्रत्येक जिले में इस स्कीम का नोडल अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी होगा और इसके कार्यन्वयन के लिए यह जिम्मेवार भी स्वयं होगा।

लेखा-जोखा

इस स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र निदेशालय में प्राप्त होने उपरान्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिये जायेंगे, जिस पर वह नियमानुसार कार्यवाही करेंगे और इनसे सम्बन्धित रिकार्ड अपने कार्यालय में कार्यरत अन्वेषक के पास रखा जायेगा। इसकी ए० पी० आर० भी पेंशन वितरण के उपरान्त अन्वेषक के पास ही रहेगी। जिन जिलों में अन्वेषक नहीं हैं, वहां पर उपरोक्त कार्य वरिष्ठ सहायक द्वारा रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा। इस स्कीम का आडिट विभागीय तथा महालेखाकार, हरियाणा द्वारा ही किया जायेगा।

वित्त विभाग ने अपने अश: क्रमांक 1/28/2006-3 एफ०जी०-II/1354, दिनांक 11जुलाई, 2006 के द्वारा सहमति प्रदान कर दी है।

अनुराधा गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
समाज कल्याण विभाग।

41722—C.S.—H.G.P., Chd.